केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/117

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00103
CICOM/R/2019/00224

दिनांक: 30.05.2019

अपीलकर्ता : श्री प्रतापभान सिंह,
पुत्र - श्री अजयपाल सिंह,
ग्राम व पो0 - अंगदपुर,
तह0 व जिला0 - एटा,
उत्तर प्रदेश - 207121.

निर्णय की तारीख: 30.05.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	23.02.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	01.04.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर. सीतारामा मूर्ति
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	12.05.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	164/22.05.2019 (12715/21.05.2019)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 23.02.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से तीन बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी मांगी गई थी जिसके प्रतिउत्तर में श्री आर. सीतारामा मूर्ति, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. अपीलकर्ता से प्रथम अपील आवेदन में दिए गए उनके मोवाइल नं. पर संपर्क किया गया, परन्तु अपीलकर्ता स्पष्ट रूप से नही वता पाए कि उन्हें क्या सूचना चाहिए । संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन करने पर पाया गया अपीलकर्ता के दिनांक 23.02.2019 के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री आर. सीतारामा मूर्ति, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 01.04.2019 को पत्र सं. CICOMR-R-2019-00224-SC-034 के माध्यम से स्पष्ट सूचना प्रदान की जा चुकी है । श्री आर. सीतारामा मूर्ति, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, वावा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

C. I. C./के॰ सू॰ आ॰
RECEIVED
30 MAY 2019
D. No.........
Initials.........

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री आर. सीतारामा मूर्ति, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

30/05/19
30.05.2019